2A/2

30

पत्रावली सं0 11/2021 सरकार बनाम गुरप्रीत सिंह-बलवीर सिंह

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
5-02-2021	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री गुरप्रीत सिंह-बलवीर सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह जाति [illegible] निवासी 19 P TA में फसल रबी/खरीफ सम्वत/सन 2020 में गांव/चक नं0 1 GWSM के मु0 नं0 28 331 में .443 है0 बीघा सिंचित व .443 है0 असिंचित कुल .443 है0 [illegible] बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा गुणा पैनल्टी राशि रू0 178/- अखरे रू0 एक सौ अठत्तर रुपये मात्र अधिरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुदा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी0 आर0 ए0 को पैनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पैनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावें। उप तहसीलदार तहसीलदार (राजस्व) जिला श्रीगंगानगर रायसिंहनगर	

वर्ष 2020-2021 क. मांग रजिस्टर
पृष्ठ संख्या 210 की रकम
1 178/-

तह. [illegible] ...दार